न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

किस्तुरचन्द पुत्र गलबाजी, जाति- सुथार, निवासी- कालन्द्री, तहसील व जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1.राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कालन्द्री, जिला- सिरोही

2.जल संसाधन विभाग, सिरोही जरिये अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 26/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 26 मई, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री प्रथम के स्वीकृत नामान्तरण संख्या 839 दिनांक 08.2.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उपखण्ड सिरोही के पत्र क्रमांक/केस/2021/320 दिनांक 15.9.2021 के संलग्न अपील का अपीलोत्तर एवं संबंधित रेकर्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई। प्रकरण में तहसीलदार, सिरोही के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/रीडर/22/35 दिनांक 13.5.2022 से अपीलोत्तर प्राप्त हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवासी ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री प्रथम के खाता संख्या पुराना 122 खसरा संख्या 998 रकबा 0.7000 हेक्टेयर किस्म बारानी-प्रथम (जिसके पुराने खसरा संख्या 688 मी. है) भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से इस भूमि पर अपीलार्थी बतौर मालिक एवं खातेदार काबिज है। यह कि उक्त भूमि का बरलुट सिंचाई परियोजना के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सिरोही के आदेश क्रमांकःअवाप्ति/96/330 दिनांक 24.5.1996 के द्वारा चयन किया गया, जिसका विवरण इस आदेश में क्रम संख्या 58 पर अंकित है, लेकिन उक्त परियोजना के एफ.टी.एल. व एम.डब्लयू.[illegible] अवाप्ति होने से इस भूमि को धारा 6 की कार्यवाही की सूची में विलो[illegible] किया गया है। उक्त भूमि बांध की पाल व कालन्द्री बरलुट मार्ग (सड़क) के मध्य स्थित [illegible] उक्त भूमि की धारा 6 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:05:44 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यवाही की सूची में विलोपित किये जाने से विभाग द्वारा अपीलार्थी को मुआवजे का भुगतान नही किया गया है। उक्त भूमि न तो डूब क्षेत्र में आती है व न ही डेम के पाल के अन्दर आती है, यह भूमि डेम से काफी बाहर आई हुई है, जिसकी पुष्टि प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपीलोत्तर से भी होती है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ राजस्व कार्मिक व अधिकारियों ने जांच किये बिना ही अपीलार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि का जल संसाधन विभाग, सिरोही के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त कर उक्त भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में पुनः नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत करने हेतु उप तहसीलदार, कालन्द्री को निर्देशित किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान व्यक्त किया उप तहसीलदार, कालन्द्री ने भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांक:अवाप्ति/96/330 दिनांक 24.5.1996 एवं तहसीलदार, सिरोही के आदेश क्रमांक:भू.अ./2018/254-56 दिनांक 24.1.2018 को पालना में उक्त भूमि का जल संसाधन विभाग, सिरोही के पक्ष में नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:अवाप्ति/96/530 दिनांक 24.5.1996 एवं तहसीलदार, सिरोही के आदेश क्रमांक:भू.अ./18/254-56 दिनांक 24.1.2018 की पालना में ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री प्रथम के खाता खसरा संख्या 122 खसरा संख्या 998 रकबा 0.70 हेक्टेयर किस्त बारानी प्रथम (जिसके पुराने खसरा संख्या 688 मी. है) भूमि का जल संसाधन विभाग, सिरोही के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 839 दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा दिनांक 08.2.2018 को स्वीकृत किया गया है। उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 08.2.2018 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.8.2020 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 08.2.2018 को निरस्त कराने हेतु यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 08.2.2018 के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 06.8.2020 को जानकारी होना बताते हुए जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अपीलार्थी ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 08.2.2018 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी हो। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक [illegible] पाया जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम [illegible] प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए [illegible] किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:05:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:अवाप्ति/96/330 दिनांक 24.5.1996 के द्वारा बरलुट सिंचाई परियोजना के लिये भूमि अवाप्ति के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 5ए के अर्न्तगत जिला कलक्टर, सिरोही को प्रेषित रिपोर्ट में ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 688 मी. रकबा 4.07 बीघा भूमि (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 998) का बरलुट सिंचाई परियोजना हेतु चयन किया गया, जिसका विवरण इस पत्र में क्रम संख्या 58 पर अंकित है। प्रकरण में सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उपखण्ड सिरोही के पत्र क्रमांक:केस/2021/320 दिनांक 15.9.2021 के द्वारा प्रस्तुत अपीलोत्तर में यह अंकित किया है भूमि अवाप्ति अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांक/अवाप्ति/96/330 दिनांक 24.5.1996 के द्वारा बरलुट सिंचाई परियोजना हेतु खसरा संख्या 688 मी. की भूमि अवाप्ति हेतु चयन किया गया है, परन्तु परियोजना के FTL व MWL के बीच अधिक रकबा अवाप्ति होने से धारा 6 की कार्यवाही की सूची में विलोपित किया गया एवं उक्त भूमि बांध की पाल व कालन्द्री बरलुट मार्ग (सडक) के मध्य स्थित है। सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उपखण्ड सिरोही द्वारा प्रस्तुत अपीलोत्तर में यह भी अंकित किया है कि खसरा संख्या 688 मी परियोजना के FTL व MWL के बीच अधिक रकबा अवाप्ति होने से धारा 6 की कार्यवाही की सूची में विलोपित किये जाने से मुआवजा भुगतान संबंधित कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिरोही द्वारा अपीलोत्तर के संलग्न प्रस्तुत अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, खण्ड सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/96-97/10358-61 दिनांक 21.12.1996 जो उप शासन सचिव एवं प्रावधायी सहायक, वास्ते मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया गया है की छाया प्रति के अवलोकन से यह पाया कि बांध के एफ.टी.एल. एवं एम.डब्लयू.एल. के बीच का रकबा एवं नहर के नीचे लिया गया अधिक रकबा जो कि धारा 5ए की कार्यवाही सूची में 58 पर अंकित है उसे अवाप्ति मुक्त किया जाना प्रस्तावित होने से इस रकबे को धारा 6 की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत सूची में विलोपित किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार, कालन्द्री को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए संबंधित रेकर्ड की जांच कर पुन: नियमानुसार पुन: नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार, कलान्द्री द्वारा ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री-प्रथम के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 08.2.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उप तहसीलदार, कालन्द्री को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए संबंधित रेकर्ड की जांच कर पुन: नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:05:44 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खोड)
जिला कलक्टर
सिरोही